कार्यालय जनपद न्यायाधीश, मीरजापुर।

प्रशासनिक आदेश

माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के परिपत्र संख्या–1117/**LXXXVII-CPC/e-Courts/Allahabad/Dated;03June2020.**के अनुपालन में दिनांक **08.06.2020** से जनपद न्यायालय मीरजापुर के सभी न्यायालय खुलेंगे। यह सभी न्यायालय न्यायिक/प्रशासनिक कार्य को प्रवृत्त प्रावधानों, नियमों, दिशा–निर्देशों तथा परिपत्रों जो समय–समय पर निर्गत किये गये हैं, के अनुसार करेंगे।

सभी न्यायालय, माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के पत्रांक संख्या–484/इन्फ्रासेल इलाहाबाद दिनांकित 30.05.2020 जिसके द्वारा सभी न्यायालयों द्वारा त्वरित निस्तारण हेतु चिन्हित वादों को प्राथमिकता पर निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं, का कड़ाई से पालन करेंगे।

न्यायिक अधिकारीगण/कर्मचारीगण अपना दैनिक न्यायिक तथा प्रशासनिक कार्य पूर्ण होने के शीघ्र उपरान्त न्यायालय परिसर छोड़ देंगे।

जेल में निरूद्व बन्दियों का रिमाण्ड तथा उनसे सम्बन्धित अन्य न्यायिक कार्य केवल वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से किया जायेगा।

सभी न्यायालय कक्षों में अधिवक्ताओं हेतु केवल चार कुर्सियॉ रहेगी जो उचित दूरी पर रखी जायेंगी। न्यायालय कक्ष/परिसर में बिना मास्क पहने कोई भी व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा। केवल वही अधिवक्ता एवं पक्षकार न्यायालय परिसर में प्रवेश प्राप्त करेंगे, जिनके मामले उस दिनांक को नियत हों और जैसे ही मामले की सुनवाई पूरी हो जाये, वह न्यायालय परिसर छोड़ देंगे।

पीठासीन अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि एक समय में न्यायालय कक्ष में कम से कम व्यक्ति ही उपस्थित रहें, किन्तु पीठासीन अधिकारी सुनवाई के दौरान पक्षकारों की उपस्थिति को निषिद्व नहीं करेगें, जब तक कि उन्हें यह अन्देशा न हो कि पक्षकार किसी बीमारी से ग्रसित है।

सभी न्यायालय/कार्यालय कक्षों का तथा सम्पूर्ण न्यायालय परिसर का दैनिक रूप से सेनेटाइसेजन कराया जायेगा। इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी मीरजापुर, मुख्य चिकित्साधिकारी, सी0एम0एस0, मीरजापुर से दैनिक आख्या आहूत की जाये।

न्यायालय परिसर के प्रवेश द्वार पर पूर्व की भांति थर्मल स्कैनिंग चेकप, प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों का किया जाता रहेगा।

जनपद न्यायालय की हेल्प लाइन नम्बर–05442–252346 वर्तमान में कार्यरत् है, उसे सुदृढ बनाया जाये तथा उसका व्यापक प्रचार प्रसार किया जाये।

सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को निर्देशित किया जाता है कि वह हेल्पलाइन पर कार्य करने हेतु पैरालीगल वालेन्टियर की ड्यूटी लगाये जाने हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करें। सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को यह भी निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान गाइड लाइन के बिन्दु संख्या–22 एवं 23 के सम्बन्ध में अन्य कार्यवाही करना भी सुनिश्चित करें।

न्यायालय में सुनवाई के दौरान पुरूष अधिवक्ताओं का ड्रेस–कोड सफेद शर्ट तथा हल्के रंग का ट्राउजर तथा महिला अधिवक्ताओं के लिए सौम्य परिधान होंगे। न्यायिक अधिकारियों को कोट तथा गाउन पहनने से छूट रहेगी।

सभी न्यायालयों द्वारा कार्य समाप्त होने के शीघ्र उपरान्त दैनिक कार्य की रिपोर्ट जनपद न्यायाधीश के कार्यालय को प्रेषित की जाये, जहॉ पर उसे समेकित कर ई सर्विस मॉड्यूल पर अपलोड किया जाये।

सिस्टम अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्तमान में **JITSI** साफ्टवेयर के माध्यम से कार्य कर रहे एक कोर्ट के अतिरिक्त एक और कोर्ट चिन्हित करें।

नोडल अधिकारी, कम्पयूटर को निर्देशित किया जाता है कि वह यह सुनिश्चित करे कि जुडिशियल सर्विस सेन्टर (केन्द्रीय फाइलिंग काउन्टर)का प्रयोग नये वादों, प्रार्थना–पत्रों

a

को अधिवक्ताओं/पक्षकारों से प्राप्त करने के लिए सभी सम्बन्धित को निर्देशित करें। ऐसे सभी वादों/प्रार्थना–पत्रों को सीआईएस पर रजिस्टर किया जाये। प्रार्थना–पत्रों में अधिवक्ता तथा पक्षकारों के सभी विवरण जिसमें मोबाइल नम्बर शामिल है, होना चाहिए, यदि कोई कमी पायी जाती है तो उसे सम्बन्धित अधिवक्ता को सूचित किया जाये।

कम्प्यूटर सेक्शन ecourt App के बारे में उन सभी व्यक्तियों को विस्तृत जानकारी दे, जो कम्प्यूटर सेन्टर में वाद दाखिल करने आये, जन सामान्य को यह भी बताया जाये कि वह अपने मामले की लिस्टिंग की तारीख ecourt App से देख सकते हैं।

ई–मेल के द्वारा प्रार्थना–पत्रों को प्राप्त करने के लिए वर्तमान में email-Id dcmir@nic.in का प्रयोग किया जा रहा है। इस ई–मेल का प्रयोग अब वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में किया जाता रहेगा।

सभी न्यायिक अधिकारी/रीडर/क्लर्क एवं अन्य कर्मचारीगण समय–समय पर केन्द्र सरकार तथा माननीय उच्च न्यायालय के द्वारा दिये गये सोशल डिसटेंसिग के गाइड लाइन/दिशा निर्देशों का पालन करें। सभी सम्बन्धित सूचित हों।

इस आदेश की एक प्रति जिला बार एसोसिएशन मीरजापुर को प्रेषित की जाय तथा एक प्रति जिला सूचना अधिकारी मीरजापुर को इसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराये जाने हेतु प्रेषित की जाय।

Sanjay Hari Shukla 05/06/2020

(संजय हरि शुक्ला)
प्रभारी जनपद न्यायाधीश,
मीरजापुर।